तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25-10-19 को पेश हो।
25/10/19	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। बहस सुनी गयी दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि तन ग्राम पीपेडा बालाजी नगर पटवार हल्का मुगलपुरा तह० खण्डेला की कृषि भूमि ख० न० 147 से 151, 65 से 68, 70 से 72, 76, 78 कुल किता -14 कुल रकबा 10.2500 हैक्० में हिस्सा 1/6 की खातेदारी में प्रार्थी/वादी का नाम "मुरलीराम पुत्र परसाराम दर्ज है। जबकी वादी के समस्त दस्तावेज में वास्तविक नाम मूलचन्द पुत्र परसुराम है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से वादी को राजकीय सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का मुरलीराम पुत्र परसाराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र परसुराम दुरुस्त किया जावे।
	वकील वादी की बहस सुनी गयी।
	पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के संलग्न पेश किये दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में वादी का नाम मूलचन्द पुत्र परसुराम है। साथ ही ग्राम पंचायत मुगलपुरा जारी प्रमाण पत्र में भी मुरलीराम पुत्र परसाराम एवं मूलचन्द पुत्र परसुराम

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
नाम एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व ग्राम पंचायत भुगामपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से वादी के वाद कथन साबित होते हैं। चाहिगयी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :- **आदेश** कृषि भूमि ख०न० 147 ता 151, 65 से 68, 70 ता 72, 76, 78 कुल किता-14 कुल रकबा 10.2500 है० तन ग्राम पीपेड़ा बालाजी नगर पटवार हल्का भुगामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "मुरलीराम पुत्र परसाराम" के स्थान पर "मूलचन्द पुत्र परसुराम" दुरूस्त किया जावे। इसी भांति डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25/10/19 को सरे इजलास सुनाया गया। (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी RAS खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner